2.	हिमाचल प्रदेश (नीचे टिप्पणी 2 भी देखिये)
3.	नागालैंड

क्रम संख्या	संघ राज्य क्षेत्र
1.	लकादीव द्वीप समूह
2.	गोवा, दमन तथा दीव
3.	त्रिपुरा (नीचे टिप्पणी 3 तथा 4 भी देखिये)
4.	मणिपुर
5.	पांडिचेरी

गौवध पर प्रतिबन्ध लगाना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केरल, नागालैंड, लकादीव तथा गोवा, दमन तथा दीव जैसे राज्यों में आंशिक प्रतिबन्ध न लगाने का कारण यह है कि इन राज्यों में लोगों की गोवध के प्रति कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में समझते है।

टिप्पणी

(1) यद्यपि केरल में कोई कानून नहीं बनाया गया है, तथापि केरल पंचायत (बूचड़खाने तथा मांस स्टाल) नियम, 1964 के अनुसार नियम 8 के अन्तर्गत गौ के वध के लिये तब तक कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता जब तक कि जाँच प्राधिकारी कारण बताते हुए लिखित में यह विचार प्रकट न करे कि (क) पशु की आयु 10 वर्ष से अधिक है और कार्य करने तथा प्रजनन के अयोग्य है अथवा (ख) घाव या विकृति के कारण पशु कार्य अथवा प्रजनन के लिए स्थायी रूप से विकलांग है।

(2) हिमाचल प्रदेश में, पंजाब विधि अधिनियम, 1872 की धारा 43 लागू की गई है, जिसके अनुसार गोवंश का वध नहीं किया जा सकता बशर्ते कि राज्य सरकार इसके लिये, सामान्य रूप से या किसी विशेष उपाहरण के तौर पर समय-समय पर कानून बनाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि लोगों के धार्मिक विश्वास ने गो की रक्षा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि कानूनी रक्षा प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश में लागू किये गए पंजाब विधि अधिनियम 1872 की धारा 43 के उपबन्ध पर्याप्त हैं।

(3) त्रिपुरा में, त्रिपुरा के महाराजा द्वारा त्रिपुरा युग के वर्ष 1296 में जारी किए गए कार्यकारी आदेश के अनुसार गौवध पर प्रतिबन्ध है।

(4) मणिपुर में गौवध पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई कानून नहीं है। परन्तु 1936 में उस समय के मणिपुर दरबार द्वारा जारी किये गये, संकल्प के अनुसरण में मणिपुर घाटी में पशुबध नहीं होता।

Expenditure on Evacuees from Bangla Desh

3582. SHRI S. C. SAMANTA :
SHRI SAMAR GUHA :
SHRI C. JANARDHANAN :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total financial burden fallen upon the Government of India due to the influx of evacuees from Bangla Desh in the financial year 1971-72; and

(b) the sums of money spent during 1st April, 1971 to 30 June, 1971 for feeding and making all other arrangements for the evacuees from Bangla Desh and from which "account head" ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) The estimated expenditure for six months on the basis of six million refugees is likely to be of the order of Rs. 300/- crores, during the financial year 1971-72.

(b) A sum of Rs. 2085 lakhs has been sanctioned as on account advance to the border States (including Bihar) during the months of April to June, 1971. The actual amount spent has not yet been calculated.

Lift Irrigation Scheme for Hill Areas of Tripura

3583. SHRI BIREN DUTTA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any scheme for lift-irrigation has been taken up by the Government of Tripura for hill areas there; and

(b) if so, the amount earmarked for the scheme for the year 1970-71 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) and (b). Material is being collected from the Union Territory Administration and will be placed on the Table of the ?ha.

मध्य प्रदेश में खानों के विकास पर व्यय

3584. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा चौथी योजनावधि में मध्य प्रदेश की खानों के विकास पर कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : बैलाडिला में पैलेटीकरण संयंत्र के विकास को सम्मिलित करते हुए खानों के विकास पर लगभग 47 करोड़ रुपए का व्यय उपगत करना प्रस्तावित है ।

लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्रीय सहायता

3585. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें अधिक प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में प्रत्येक राज्य को पृथक-पृथक कितनी वित्तीय सहायता अथवा अनुदान दिया गया ; और

(ग) उक्त योजना को किस अभिकरण के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) लघु सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने और उन्हें अधिक प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे निम्न हैं :—

(i) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई के लिए धन आवंटन को प्राथमिकता देना :